प्रेस विज्ञप्ति

क.भ.नि.सं. अंशदाताओं को मिली रेवन्यू स्टैंप से आजादी ।

भविष्य निधि दावों पर अब रेवन्यू स्टैंप की जरूरत नहीं ।

भविष्य निधि दावों पर रेवन्यू स्टैंप लगाना समाप्त किया गया ।

नई दिल्ली - शुक्रवार, अगस्त, 14, 2015 : स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, श्री बंडारू दत्तात्रेय, केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने दावा प्रपत्रों पर एक रूपये की रेवन्यू स्टैंप लगाने की अनिवार्य आवश्यकता को समाप्त कर दिया है और इससे प्रत्येक वर्ष लाखों भविष्य निधि अंशदाताओं को इस परेशानी से छुटकारा मिलेगा । उन्होंने कहा कि क.भ.नि.सं. भविष्य निधि दावा निपटान प्रक्रिया को और अधिक आसान बना रहा है । इस मामले पर विस्तारपूर्वक बोलते हुए उन्होंने कहा कि अब अधिकतर दावा प्रपत्रों में एक रूपये की रेवन्यू स्टैंप लगाने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि भविष्य निधि निपटान के 97% मामलों में राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (NEFT) द्वारा निपटान किया जाता है । यह कदम विधि एवं न्याय मंत्रालय के परामर्श के बाद उठाया गया है जिनका विचार था कि NEFT के माध्यम से किए जाने वाले भुगतान के संबंध में रेवन्यू स्टैंप लगाए जाने की कोई जरूरत नहीं है । इससे बहुत बड़ी संख्या में भविष्य निधि अंशदाताओं को लाभ होगा क्योंकि पिछले वर्ष एक करोड़ से अधिक अंशदाताओं ने क.भ.नि.सं. में दावे प्रस्तुत किए थे ।

श्री दत्तात्रेय ने यह भी कहा कि क.भ.नि.सं. अपने अंशदाताओं को बिना किसी परेशानी के सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने फार्मों को और सरल बना रहा है । यह प्रस्तावित किया गया है कि जिन कर्मचारियों ने आधार की सिडिंग सहित अपनी के.वाई.सी. जानकारी प्राप्त कर ली है तथा अपने यू.ए.एन. को एक्टिवेट कर लिया है, उन्हें नियोक्ता के प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होगी । इसका उद्देश्य क.भ.नि.सं. के साथ कर्मचारी के लेन-देन के लिए नियोक्ता पर उसकी निर्भरता को कम करना है । यह देखा गया है कि नियोक्ताओं पर अधिक निर्भर होने के कारण, अंशदाता संगठन द्वारा उपलब्ध त्वरित एवं सरल सेवाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे है । के.वाई.सी. विवरण के माध्यम से कर्मचारी की पहचान एवं प्रमाणीकरण को अधिक महत्व देने की दिशा में बढ़ने से नियोक्ता पर निर्भरता कम हो जाएगी ।